लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन): (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, वर्ष 1991-92 के दौरान लघु उद्योगों को 3141.38 लाख रु० की राशि मंजूर/स्वीकृत की गयी थी।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित ऋण की राशि में से 7.992 लाख रु० अनुसूचित जातियों/अनु० जन जातियों के व्यक्तियों को तथा 483.824 लाख रु० अल्पसंख्यक समुदायों को मंजूर की गयी थी।

ऋणों के लिए नीति

1551. श्री विनोद शर्मा: क्या प्रधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि सरकार लघु उद्योगों के लिए अलग से एक नीति की घोषणा करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) क्या इस बारे में सरकार ने राज्यों के प्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किया है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार विचार-विमर्श के बाद लघु उद्योगों संबंधी नीति का कोई मसौदा तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार लघु उद्योगों संबंधी नीति की घोषणा कब तक कर देगी?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आर्थिक संकट

1552. श्री विनोद शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जून, 1992 के "स्टेटसमैन" में "कंड क्राइसिस हिट पी. एस. यूज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आर्थिक संकट का सामना कर रहे होने के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास उद्योगों को बंद करने का ही विकल्प शेष रह गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में अभी तक किसी नीति की घोषणा न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इसके संबंध में नीति की घोषणा कब तक करेगी?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यम विभिन्न कारणों से घाटा उठाते आ रहे हैं। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनर्रुद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजना बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र के 54 उद्यम औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को भेजे जाने योग्य हैं। यदि हम रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के तहत रुग्णता के लिए निर्धारित वही प्राचल अपनाते हैं तो अन्य 13 उद्यमों को भी रुग्ण माना जा सकता है हालांकि वे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपे जाने योग्य नहीं हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के लिये सम्बद्ध प्रबन्धकों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन, आमूलचूल परिवर्तन करने संबंधी योजनाओं का प्रस्ताव किया जाना है। फिलहाल सरकारी क्षेत्र के किसी

उद्यम को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सम्बंध में भी नीति प्रतिपादित की गई है।

1553. *[Transferred to 3rd August,* 1992].

Revision of procedure for raising Foreign Equity

1554. SHRI SURESH KALMADI: Will the PRIME MINISTER be pleas ed to state:

(a) whether it is a fact that Go vernment have approved the revised procedures for raising foreign equity up to 51 per cent in existing companies as part of an expansion programme, Or without an expansion programme; and

(b) if so, what are the details of the revised procedures?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY ,OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir. Government have revised the procedure for increase in foreign equity upto 51 per cent in existing companies *vide* Ministry of Industry's Press Note No. 13 (1992 Series), dated 29th June, 1992.

(b) This Press Note spells out the following revised procedures for raising foreign equity upto 51 per cent in existing companies: —

(i) The RBl will accord automatic approval to a company wishing to raise its foreign equity upto 51 per cent as part of an expansion programme provided the expansion is in the high priority (Annex III) area; the additional equity is part of the financing of the expansion programme; and the money is remitted in foreign exchange.

(ii) The RBI will also accord automatic approval to proposals for increasing foreign equity upto 51 per cent without an expansion programme provided the firm is predominantly engaged in high priority industries listed in Annex III of the Statement on Industrial Policy. The increase in equity level must result from expansion of the equity base of the existing company and the foreign equity must be from remits tance of foreign exchange.

(iii) On receipt of RBI approval, the company must pass a special resolution under Section 81 (I) (A) of the Companies Act proposing preferential allocation of the required volume of fresh equity to the foreign investors.

(iv) Existing companies wishing to raise foreign equty upto 51 per cent can make issues at the price determined by the shareholders in a special resolution under Section 31(1) (A) of the Companies Act. This applies *mutatis mutandis* to closely held companies and also to companies where there is no foreign shareholding at present.

(v) The condition of Dividend Balancing will be applicable only in respect of approvals in the con-' sumer goods sector.

(vi) All other proposals for inducting or raising foreign equity in ex-isting companies which do not meet any or all of the criteria for automatic approval will be subject to usual procedures and require Government approval.

Policy reforms undertaken in industrial sector

1555. SHRI GHUFRAN AZAM:

SHRI SURINDER KUMAR ' SINGLA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of major policy reforms undertaken in the In-